



F. 11044/3(1)/पीआर(वीपी)-2025-केविसं (स्था.1)/ 1728-1803

दिनांक : 10.04.2026

ज्ञापन

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर सक्षम अधिकारी ने निम्नलिखित स्नातकोत्तर शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवल-10 (₹ 56,100-1,77,500) में उप-प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। उन्हें निम्न विवरण अनुसार उप-प्राचार्य/प्राचार्य ग्रेड-2/प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थापित किया जाता है:-

SL. No.	Name of PGT	Cat.	ZIET/ KV where presently posted	Region	KV where posted on promotion as VP	Region	Year
1	MR. B SESA SAI	UR	PM SHRI KV BOWENPALLY	HYDERABAD	PM SHRI KV BOLARUM	HYDERABAD	2026
2	MRS. PULAK SAXENA	UR	PM SHRI KV CRPF RAMPUR	AGRA	PM SHRI KV KASHIPUR	DEHRADUN	2026
3	MS. V SHOBHA	UR	PM SHRI KV KENDRAPARA	BHUBANESWAR	ITBP KHURDA ROAD AS PPL- GR- II	BHUBANESWAR	2026
4	ANITA AGGARWAL	UR	PM SHRI KV NAHARA	GURUGRAM	PM SHRI KV SHALIMAR BAGH SHIFT- II	DELHI	2026
5	MRS. ASA J P	UR	PM SHRI KV NAD ALUVA	ERNAKULAM	PM SHRI KV PATTOM SHIFT- II (W.E.F. 01.05.2026)	ERNAKULAM	2026
6	MRS. SEEMA SUROLIA	UR	ONGC MEHSANA	AHMEDABAD	PM SHRI KV NO. 1 INDORE SHIFT-I	BHOPAL	2026
7	MR. PRADEEP KR. SHARMA	UR	PM SHRI KV AFS SARSAWA	AGRA	PM SHRI KV KHICHRIPUR SHIFT- I	DELHI	2026
8	MRS. G KARPAGA VINAYAGAM	UR	PM SHRI KV NO. 2 BELAGAVI CANTT.	BENGALURU	PM SHRI KV NO. 2 BELAGAVI CANTT.	BENGALURU	2026
9	MS. SHYLA P	UR	PM SHRI KV NO. 3 PORT TRUST KOCHI	ERNAKULAM	PM SHRI KV SAP THIRUVANANTHAPURAM	ERNAKULAM	2026
10	MR. CHANDRA PRAKASH	UR (HI)	PM SHRI KV PL MEERUT CANTT	AGRA	PM SHRI KV AGCR COLONY SHIFT- I	DELHI	2026
11	MS. ANITA SINGH	SC	PM SHRI KV NER BAREILLY	LUCKNOW	PM SHRI KV AFS BAREILLY	LUCKNOW	2026
12	MRS. DEEPIKA PANT	UR	PM SHRI KV BHIMTAL	DEHRADUN	PM SHRI KV SHALIMAR BAGH SHIFT- I	DELHI	2026

यदि उन्हें यह पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति केवल ई-मेल द्वारा e1.section@kvs.gov.in पर भेजें और दिनांक 30.04.2026 तक तैनाती के वर्णित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।


केन्द्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती नियमावली के अनुसार उप-प्राचार्य के पद पर परिवीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की होगी।

उप-प्राचार्य के पद पर उपरोक्त पे- मेट्रिक्स के पे लेवल में उनका वेतन निर्धारण एफ़.आर. 22(I)(a)(1) के प्रावधानों एवं केविसं के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि में करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के 01 माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

यदि वे निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते/ करती हैं / या स्वीकृति देने के बाद निर्धारित तिथि तक नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने में अफल होते/ होती हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और उनके नियुक्ति प्रस्ताव को वापस ले लिया जाएगा।

पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर 01 वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वे उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुकाबले उप-प्राचार्य के पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे/ देंगी। यदि उनके द्वारा पदोन्नति प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


10.04.26

(अमर पाल सिंह बराड़)
सहायक आयुक्त (स्था-1)

संबन्धित स्नातकोत्तर शिक्षक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
2. निजी सहायक, अपर आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
3. निजी सहायक, अपर आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय।
5. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, संबन्धित संभाग।
6. प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को इस आदेश के साथ कि वे संबन्धित स्नातकोत्तर शिक्षक के कार्यमुक्ति/ पदभार ग्रहण करने से पूर्व कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति/ पदभार की तिथि आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को केवल ई-मेल द्वारा e1.section@kvs.gov.in पर सूचित करें। यदि स्नातकोत्तर शिक्षक का स्थानांतरण किसी अन्य केन्द्रीय विद्यालय में हो गया है तो पदोन्नति ज्ञापन की प्रति उनके वर्तमान केन्द्रीय विद्यालय में प्रेषित करें।
7. सहायक आयुक्त (RPS), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
8. सहायक आयुक्त (आईटीएससी), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस ज्ञापन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
9. गार्ड फ़ाइल।